

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री रामखिलाडी मीना, निवासी ग्राम गांगदवाडी तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान

अपील संख्या 135/2022

निर्णय

दिनांक 28.12.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को पत्र क्रमांक: डीएम/कोर्ट/2022/3053 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान ने पत्र क्रमांक: आरटीआई/2022/648 दिनांक 26.12.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना संख्यात्मक रूप में बल्क में चाही गई है जो कार्यालय में संधारित नहीं है। उक्त आशय की सूचना अपीलांट को पृथक से दी जा चुकी है। उक्त पत्रादि की प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर दौसा
जिला कलेक्टर दौसा

